मध्यप्रांत एवं बरार के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज्य दल की भूमिका

(नर्मदा घाटी के विषेष संदर्भ में)

श्रीमती आद्या त्रिवेदी
(शोध छात्रा)

राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में मध्यभारत एवं बरार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यप्रांत एवं बरार क्षेत्र में स्वराज्य दल को बहुमत प्राप्त हुआ, इस प्रचंड जन समर्थन के परिणामस्वरूप स्वराज्य दल के विकास उत्थान एवं उसके राजनैतिक अस्तित्व की परिपूर्णता में अनेक नये आयाम जुड़े।[1]

मध्यप्रांत व बरार में 1919 में 1939 का समय प्रबल राजनैतिक विकास व जागृति का समय था। इस समय उत्तर भारत की शक्ति में वृद्धि हुई, मराठी डोमिनेन्स से हिन्दी डोमिनेन्स होने लगा।[2]

मध्यप्रांत तथा बरार का गठन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ। इसका गठन दो चरणों में हुआ। मध्यप्रांत का गठन 2 नवम्बर 1861 में हुआ।[3] सागर नर्मदा क्षेत्र तथा कंपनी द्वारा हस्तगत नागपुर राज्य (जबलपुर, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, होशंगाबाद जिले) भी इसमें षामिल कर लिया गया। अतः इन दोनों क्षेत्रों को जोड़कर मध्यप्रांत का नाम दिया गया। 1903 में बरार क्षेत्र भी इसमें ष्षामिल कर लिया गया।[4]

मध्यप्रांत एवं बरार में राजनैतिक विकास में गति आयी। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् मध्यप्रांत में राजनैतिक चेतना का विकास हुआ।[5]

मध्यप्रांत एवं बरार में आंदोलनों का क्रम द्रुत गति से चलता रहा। सन् 1919 का वर्ष देश के राजनैतिक सामाजिक पुनरूत्थान में विषेष महत्त्व रखता है। रौलेट एक्ट, जलियावाला बाग कांड तथा खिलाफत आंदोलन में भारतीय राजनीति को नया मोड़ दिया।[6]

इन परिस्थितियों में गाँधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसमें 1919 की घटनाओं की आलोचना की गई।[7] असहयोग आंदोलन के हिन्दुस्तानी मध्यप्रांत, मराठी मध्यप्रांत तथा बरार क्षेत्र में विषिष्ट व्यक्तियों ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विषेष योगदान दिया। इनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने मध्यप्रांत और बरार में गहरी पेठ बना ली।''[8]

हिन्दुस्तानी मध्यप्रांत में जबलपुर, मंडला, सागर, दमोह, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिंदबाड़ा, होषंगाबाद, बैतूल, निमाड़, रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग आते थे। मराठी मध्यप्रांत में नागपुर, चांदा, वर्धा तथा भंडारा आते थे।[9]

गाँधी जी द्वारा प्रारंभ असहयोग आंदोलन पूर्ण सक्रियता में था किन्तु अचानक हुई चौरी–चौरा की त्रासदी पूर्ण घटना से राजनैतिक परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई। असहयोग आंदोलन से संपूर्ण देष में रोष व्याप्त हो गया। इस घटना ने मध्यप्रांत व बरार क्षेत्र को भी प्रभावित किया। असहयोग काल की हिन्दु मुस्लिम एकता का स्थान साम्प्रदायिक दंगों ने ले लिया।[10]

मार्च 1922 में गाँधी जी गिरफ्तर कर लिये गये और संपूर्ण राजनैतिक नेतृत्वहीन हो गई। एक सत्याग्रह जांच समिति गठित की जिसने रिपोर्ट दी की देष अभी सत्याग्रह हेतु तैयार नहीं हैं। 1919 के अधिनियम के आधार पर परिषदों में प्रवेष के संबंध में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए।[11] डॉ. एम.ए. अंसारी, राजगोपालचारी तथ एस. कस्तूरी रंगा आयंगर परिषदों में सदस्यता प्राप्त न कर कौंसिल वहिष्कार के पक्ष में थे जबकि हकीम

अजमल खाँ, मोतीलाल नेहरू, विठ्ठलभाई पटेल कौसिंल में प्रवेष के पक्षपाती थे।[12]

कौंसिल प्रवेष के पक्षपातियों का मत था कि कौंसिल प्रवेष से देष के समक्ष अपने नये कार्यक्रम को रखने का उन्हैं अवसर मिलेगा और लोगों में छायी निराष को दूर कर उनमें पुनः उत्साह उत्पन्न किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर अवसरवादी और सरकार के चाटुकारों को विधान मण्डल में जाने का अवसर नहीं मिल पायेगा। कौंसिलों में असहयोगियों के अविश्वास मत के कौंसिल में बहुमत से स्वीकार किया गया।[13] सरकारी विधेयकों का विरोध करना भी स्वराज्यवादी सदस्यों की अवरोध नीति का एक प्रमुख अंग था। अपनी इस नीति के द्वारा स्वराज्यदलीय सदस्यों ने द्वैध शासन के संचालन में बाधा डालने का प्रयास किया। अपनी इसी अवरोध नीति के अंतर्गत स्वराज्यवादियों ने विधायिका के प्रथम सभा में ही 5 सरकारी बिलों को निलंबित कर दिया।[14] इस विरोध का प्रमुख कारण था मंत्रियों की नियुक्ति जनतंत्रीय ढंग से न किया जाना ।

सरकार के जनविरोधी कार्यों का संवैधानिक विरोध प्रकट करने के लिये प्रांतीय विधान परिषदों में सदन के कार्य स्थगन के प्रस्ताव लाये गये। मध्यप्रांत में 4 फरवरी, 1924 को नरसिंहपुर जिले के बरमानपुर नामक स्थान में 'किसान और मालगुजार सभा' की बैठक बुलायी गई जिसे जिले के अतिरिक्त सहायक कमिश्नर ने बीच में ही स्थगित कर दिया । विधान परिषद में स्वराज्यवादियों ने इसके विरूद्ध आवाज उठायी।[15]

स्वराज्यवादियों का विधायिका में विरोध जारी रहा। 4 मार्च 1924 को मध्यप्रांतीय विधायिका में स्वराज्यवादियों ने सभी सरकारी प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया।[16] स्वराज्यवादियों ने अपनी असहयोग नीति के अंतर्गत संपूर्ण बजट को अस्वीकृत कर दिया।[17] मद्य, तेजाब, पेट्रोल इत्यादि के नापने के बाँट और बर्तन से संबंधित बिल उपस्थित किये गये जो अन्य बिलों की तरह नामंजूर कर दिये गये।[18]

स्वराज्यवादियों ने आय–व्यय अनुदानों को अस्वीकृत किया, जिसमें उन्हें विषेष सफलता प्राप्त हुई क्योंकि मध्यप्रांत विधान परिषदों में यह स्पष्ट बहुमत में थे। 8 मार्च 1924 को आय–व्यय अनुदान नं. 1 भूमि राजस्व के अंतर्गत 24,62,400/– रू. की मांग उत्पादन–षुल्क के अंतर्गत 7,47,000/– रूपये की माँग की थी जो 22/39 के बहुमत से अस्वीकृत हो गई। इसके अलावा कुछ अनुदान मांगे मत विभाजन के बिना ही अस्वीकृत कर दी गयी।[19]

एक अन्य मांग के अंतर्गत सामान्य प्रषासन के लिये 75,000/– रूपये का अनुदान था इसमें 72,000/– रूपये का अनुदान मंत्रियों के वार्षिक वेतन के लिये निर्धारित था। उन्होंने एक संशोधन उपस्थित कर मंत्रियों का वेतन 2 रूपये वार्षिक निर्धारित करने की मांग की । श्री वैध ने कहा स्वराज्य पार्टी की नीतियों तथा कार्यक्रमों को दृष्टि में रखकर ही मंत्रियों का वेतन 2 रूपये वार्षिक करने का संशोधन लाया गया है। श्री तांबे व डॉ. मुंजे ने 1919 के अधिनियम में मंत्रियों के वेतन की व्यवस्था है इसलिये उनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती । अनेक वाद–विवादों के पश्चात् 72,000/– रूपयमें में 71,998/– रूपये की कटौती का संशोधन स्वीकृत हो गया। मंत्रियों के लिये 300/– रूपये का मार्ग व्यय भत्ता विषयक प्रस्ताव भी अस्वीकृत कर दिया गया। चूंकि स्वरराजवादी सदन में स्पष्ट बहुमत में थे अतः उनके लिये अनुदान आदि मांगों को अस्वीकार करना आसान था वस्तुतः अनुदान संबंधी मांगों को निरस्त करना आसान हो गया। उन्होंने कुल 5,29,36,000/– रूपये के आय–व्यय अनुदानों में केवल 2/– रूपये वार्षिक की स्वीकृति दी। यह द्वेध शासन का परिहास ही था। आय–व्यय अनुदानों के इतिहास में यह अस्वीकृति

अभूतपूर्व घटना थी। इसने जनता में एक नया उत्साह उत्पन्न किया।[20]

नागपुर और बरार क्षेत्र में राजनैतिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा। जब नगर पालिका चुनाव परिणामों की घाोषणा हुई तब इसमें स्वराज्य दल विरोधी परिवर्तन स्पष्ट होने लगे। स्वराज्य दल ने दिसम्बर 1924 में नागपुर नगर पालिकाओं के चुनावां में मात्र 8 स्थन ही प्राप्त किये। हिन्दुस्तानी मध्यप्रांत के नरसिंहपुर जिले में नगरपालिका चुनावों में उदारदल व स्वतंत्र दल का बहुमत रहा जबकि स्वराज्यदल का एक भी प्रत्याशी कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर सका।[21]

मई 1925 में बालाघाट क्षेत्र में श्री सुंदरलाल ने लोगों को जाग्रह करने का प्रयास किया। श्री सुंदरलाल ने अधिक से अधिक खादी के प्रयोग की बात कही तथा हिन्दु मुस्लिम एकता पर जोर दिया। विदेषी शक्कर का बहिष्कार करने के लिए भी आंदोलन चलाया। स्वराज्य दल निरंतर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लगी हुई थी।

स्वराज्य दल की नीति में 1925 के मध्यप्रांत से ही परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगें। स्वराज्य दल ने 1923 के चुनावों में बहुमत प्राप्त किया आगे चलकर इस बहुमत प्राप्त क्षेत्र में सैद्धान्तिक परिवर्तन दिखाई देने लगा। मध्य प्रांतीय स्वराज्य दल के नेताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा। अब स्वराज्य दल के कार्यक्रम में परिवर्तन की मांग की जाने लगी।[22] कुछ वैचारिक मतमतान्तर ने स्वराज्य दल को तीन अलग–अलग समूहों में विभाजित कर दिया। डॉ. ई. राघवेन्द्रराव हिन्दुस्तानी मध्यप्रांत समूह के नेता थे। डॉ. बी.एस. मुंजे मराठी मध्यप्रांत के नेता तथा बरार समूह के नेता एस.बी. तांबे थे।[23] एस.बी. तांबे द्वारा मध्यप्रांत की कार्य समिति में गृह मंत्री का पद स्वीकार कर लेने से संपूर्ण भारत में सनसनी फैल गई। तांबे के इस कृत्य को असहयोग की नीति के अंत की शुरूआत माना गया।

कौंसिल ऑफ स्टेट के चुनावों की तैयारियां हो रही थी। ई. राघवेन्द्र ने पं. मोतीलाल नेहरू के समक्ष प्रस्ताव रखा कि तांबे के होम मेंबर होने से मध्यप्रांत में और देष में स्वराज्य दल की प्रतिष्ठा को जो हानि पहुँची है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिये योग्य उम्मीदवार के रूप में सेठ गोविंददास के ''कौंसिल ऑफ स्टेट'' के चुनाव में खड़े होने से स्वराज्य दल निष्चित ही अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करेगा।[24]

आगे चलकर स्वराज्य दल की प्रतिष्ठा धूमिल होने लगी। किन्तु मध्यप्रांत में द्वेध शासन व्यवस्था का अंत करने में वे सफल रहे। स्वराज्यवादी अनुक्रियावादी सहयोगी दल के समर्थक हो गये।

स्वराज्य दल के अंदर असंतोष का वातावरण बन गया जिसके परिणामस्वरूप अनेक नवीन दल संगठित हो गये। इन परिस्थितियों में कानपुर अधिवेषन में यह निष्चित हुआ कि 1926 के चुनाव स्वराज्य दल अपने नाम से न लड़कर कांग्रेस के नाम से लड़ेगी। डॉ. ई. राघवेन्द्र राव ने नागपुर कांग्रेस के निर्णय के अनुसार घोषणा की कि ''स्वराज्यवादियों के लिये निराषपूर्ण सिद्ध हुये। जिस प्रकार असहयोग आंदोलन के असफल होने पर कांग्रेस का सक्रिय नेतृत्व स्वराज्यवादियों की झोली में आ गिरी थी, उस प्रकार अब स्वराज्यवादियों के असफल हो जाने पर कांग्रेस की बागडोर पुनः गाँधी जी के हाथों में चली गयी।

संदर्भः

1. सी.पी. एंड बरार एडमिनिक्टेशन रिपोर्ट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल नं. 1/1921 भाग–2, पृष्ठ–149
2. डॉ. ताराचंद – द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूव्हमेंट इन इंडिया, भाग–4, पृष्ठ – 2

3. मिश्रा डी.पी., लिविंग इन ऐरा, पृष्ठ – 60
4. घोष शंकर, लीडर्स ऑफ मार्डन इंडिया, पृष्ठ – 261
5. ए. आई.सी.सी. पेपर्स, सप्लीमेंट फाइल नं. 35/1923
6. मिश्रा डी.पी. द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूव्हमेंट इन एम.पी., पृष्ठ – 322
7. सीक्रेट रिपोर्ट ऑफ सी.पी. एंड बरार, पृष्ठ – 4
8. मिश्रा डी.पी. द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूव्हमेंट इन मध्यप्रदेश, पृष्ठ – 331
9. मिश्रा डी.पी., लिविंग इन ऐरा, पृष्ठ – 66
10. सी.पी. एंड बरार एडमिस्ट्रेषन रिपोर्ट, 1923–24, पृष्ठ – 12–13
11. मिश्रा, डी.पी., द फ्रीडम इन मध्यप्रदेष, पृष्ठ – 331
12. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ सी.पी. एंड बरार फॉर द ईयर, 1922–1923 भाग–1, अप्रैल 1922 से दिसम्बर 1923, पृष्ठ – 7
13. वही
14. सी.पी. एडमिनिस्ट्रेषन रिपोर्ट सेकंड हाफ ऑफ जनवरी 1924, पृष्ठ – 2
15. आज समाचार पत्र, 21 फरवरी 1924, पृष्ठ –2
16. वही, 7 मार्च 1924, पृष्ठ –3
17. वही, 25 फरवरी 1924, पृष्ठ– 7
18. वही, पृष्ठ – 6
19. प्रोसीडिंग्स ऑफ दे लेजिस्टलेटिव कौंसिल ऑफ द सी.पी. एंड बरार भाग–2, 4–10 मार्च 1924, पृष्ठ–259
20. बोस सुभाष चन्द्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल पृष्ठ – 141
21. फाईल 112/जून 1924 सीक्रेट रिपोर्ट ऑन द पालिटिकल सिचवेशन इन सेंट्रल प्रोविन्सेस एंड बरार फॉर द फर्स्ट ऑफ जून, पृष्ठ – 2
22. सुभाष चन्द्र बोस – द इंडियन स्ट्रगल 1920–1942 पृष्ठ – 167
23. ुक्ल अभिनन्द ग्रंथ इतिहास खंड, पृष्ठ–150, तथा सेठ गोविंद दास, आत्मनिरीक्षण, भाग–2, पृष्ठ–126
24. आज समाचार पत्र, 27 नवम्बर 1925, पृष्ठ–3

डॉ. रीझन झारिया

सहायक प्राध्यापक, संस्कृत, चंचलबाई पटेल महिला महाविद्यालय राईट टाउन जबलपुर म.प्र.

RESEARCH CHRONICLER